

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

अधिसूचना

सं०सं०-05 / स्था०(डी०टी०ओ०)-30 / 2013..... / परि० पटना, दिनांक.....

परिवहन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-6283 दिनांक-21.10.2016 द्वारा श्री भरत भूषण प्रसाद, बि०प्र०से० को (कोटि क्रमांक-708 / 11) जिला परिवहन पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) के पद पर पदस्थापित किया गया है।

जिला परिवहन पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम) का पद रिक्त रहने के कारण श्री भरत भूषण प्रसाद, जिला परिवहन पदाधिकारी, कैमूर (भभुआ) को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 213(1) एवं बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम 1994 की धारा-3(तीन) में निहित प्रावधानों के तहत पदभार ग्रहण करने की तिथि से अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, रोहतास (सासाराम) के कार्यों के सम्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है। यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह० / -

विशेष सचिव,


परिवहन विभाग, बिहार, पटना

निबधित/ई-मेल

ज्ञापांक - 05 / स्था०(डी०टी०ओ०)-30 / 2013 6446 / परि०

पटना, दिनांक 28/10/16

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजकीय राजपत्र में प्रकाशनार्थ/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, रोहतास/कैमूर/संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, पटना/श्री भरत भूषण प्रसाद, बि०प्र०से०, जिला परिवहन पदाधिकारी, कैमूर/मोटरवाहन निरीक्षक, रोहतास/माननीय मंत्री परिवहन के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव/राज्य परिवहन आयुक्त के आप्त सचिव/सभी विभागीय पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



विशेष सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना